कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-4,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना-02

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना
सं०(NIQ)-01/2026-27

पत्रांक- बा०नि०रू०प्र०-4-350/2025 पटना, दिनांक-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-4, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना-02 के कार्यालय के अंतर्गत कार्यो के साथ-साथ विभागीय पत्रांक-1922 दिनांक-01.08.2024 द्वारा जल निस्सरण संबंधी कार्यो के सुत्रण, अनुश्रवण, निरीक्षण हेतु सभी कार्यदिवसों (आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार सहित) में परिचालन के लिए प्रतिमाह के दर से नियत किराया पर (सभी करों के सहित) वाहन (ईंधन रहित चालक सहित) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-04, अनसिाबाद, पटना को उपलब्ध कराने हेतु 01 (एक) अदद् सामान्य बोलेरो निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन/मालिकों/फर्म से मुहरबंद अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है:-

1.	कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	:-	दिनांक-21.04.2026
2.	कोटेशन जमा करने की अवधि	:-	दिनांक-29.04.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
3.	कोटेशन जमा करने का स्थान	:-	बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल, 04 अनिसाबाद पटना के कार्यालय में।
4.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	:-	दिनांक-29.04.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में।
5.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:-	बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल, 04 अनिसाबाद पटना । (मोबाईल नं०-9471935248)

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाणपत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक अपना का अधार कार्ड, जी०एस०टी०, पैन इत्यादी कागजात को कोटेशन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेगें।
3. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र०	वाहन का प्रकार	इंधन रहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST, IT etc. सहित

नियम एवं शर्ते

1. भाड़े पर वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) विभागीय निदेशानुसार दिए गए अवधी तक के लिए लिया जाएगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर हीं वाहन को आगे के लिए रखा जाएगा।
2. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/ फर्म द्वारा किया जाएगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा हीं किया जाएगा।
4. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मलिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शूल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. वाहन के कागज़ात टैक्स, fastag, बीम आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राविंग लाईसेंस होना चाहिए । वैद्य GST एवं PAN CARD निबंधन होना अनिवार्य है।
6. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
7. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रति माह इंधन रहित देय होगा।
8. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का (ईंधन रहित चालक के साथ) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर कभी भी बिना बताए एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
9. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गए डीज़ल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
10. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का उपयोग वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायीक कार्यो में नहीं करेंगे।
11. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का उपयोग 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जाएगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त सभी शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 से संबंधित कागज़ात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
12. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय पटना, पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशनदाता के साथ रूपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
13. कोटेशनदाता द्वारा प्रत्येक वाहन का दर (ईंधन रहित एवं चालक सहित) प्रतिमाह (सभी करों के साथ किसी भी परिस्थिति में संबंधित जिला प्रशासन पटना के द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

14. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का उपयोग के लिए Log Book का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा।
15. जिला प्रशासन पटना द्वारा बोलेरो/स्कार्पियो/सूमो के निविदत दर से अधिक उद्‌वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।
16. जल निस्सरण के सुत्रण, अनुश्रवण एवं निरीक्षण कार्य हेतु वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) माह मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा। एकारारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकाल द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जाएगा।
17. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 16 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक/समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहनमालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
18. कोई अन्य जानकारी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, साथ ही शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(टिंकु कुमार)
कार्यपालक अभियंता,

पत्रांक- बा०नि०रू०प्र०-4-350/2025 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-
(टिंकु कुमार)
कार्यपालक अभियंता,

पत्रांक- बा०नि०रू०प्र० 4-350/2025 -83 पटना, दिनांक- 21.04.2026

प्रतिलिपिः-जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित।

अनु०:- कोटेशन आमंत्रण का साफ्टकॉपी।

21/04/26
(टिंकु कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
21.04.26